डाक/ईमेल के माध्यम से

फा. सं. जे-11017/12/2021-न्यायिक

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

(न्यायिक अनुभाग)

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 26 नवंबर , 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभिन्न न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष रेलवे के मुकदमों के संचालन हेतु काउंसेल की नियुक्ति- के संबंध में।

इस विभाग के दो कार्यालय ज्ञापनों दिनांक 01.02.2022 और 18.04.2022 सम संख्यक फा. सं. जे-11017/12/2021-न्यायिक (दोनों की प्रतियां संलग्न) के अनुसार, इस विभाग द्वारा नियुक्त किए गए पैनल काउंसेलों द्वारा विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष रेलवे के मुकदमे के संचालन की वर्तमान व्यवस्था का रेल मंत्रालय के परामर्श से पुनरीक्षण किया गया है।

2. संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(i) दिनांक 01.02.2022 के पूर्व के कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष रेलवे के मुकदमे का संचालन केवल विधि कार्य विभाग के पैनल के अधिवक्ताओं/काउंसेलों द्वारा किया जाएगा;

(ii) अधिकरणों (कैट, आरसीटी, आदि) के समक्ष रेलवे के मुकदमों के संचालन हेतु, रेल मंत्रालय द्वारा (माननीय रेल मंत्री के अनुमोदन से) विधि कार्य विभाग को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री की अंतिम सहमति हेतु अधिवक्ताओं की सिफारिश की जा सकती है;

(iii) जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष रेलवे के मुकदमों के संचालन हेतु, रेलवे द्वारा अपनी निबंधनों और शर्तों पर अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है और ऐसे सूचीबद्ध अधिवक्ताओं का देशव्यापी डेटाबेस अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए भी उनकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विधि कार्य विभाग के साथ साझा किया जा सकता है;

(iv) उपर्युक्त अन्य कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.04.2022 को वापस लिया जाता है।

3. उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4. इसे माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

26.11.24

(एम. सी. प्रुस्टी)

वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता

सेवा में,

1. अपर महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)
2. उप महासॉलिसिटर (सूची के अनुसार)
3. कैट बेंच में सभी सीनियर सीजीएससी
4. जिला न्यायालयों में सभी स्थायी सरकारी कांउसेल
5. प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली
6. मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बेंगलुरु स्थित शाखा सचिवालयों के प्रभारी
7. प्रभारी, मुकदमा (उच्च न्यायालय/कैट/निचला न्यायालय) अनुभाग, दिल्ली

फा. सं. जे-11017/12/2021-न्यायिक

दिनांक: 26.11.2024

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. विधि कार्य विभाग के मुख्य सचिवालय में विधि सचिव/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार के पी.एस.ओ।
3. भारत के विद्वान महान्यायवादी/ भारत के विद्वान महासॉलिसिटर।
4. सचिव, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक
6. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी पीठों के पंजीयक।
7. रेलवे दावा अधिकरण की सभी पीठों के पंजीयक
8. सभी जिला न्यायाधीश।
9. इस विभाग की वेबसाइट www.legalaffairs.gov.in पर 'न्यायिक अनुभाग' टैब के अंतर्गत 'मुकदमेबाजी से संबंधित परिपत्र' लिंक पर अपलोड करना।
10. कार्यालय/अतिरिक्त प्रतियां.

कुमार गौरव
26.11.24

(कुमार गौरव)
अनुभाग अधिकारी (न्यायिक)
टेलीफ़ोन: 011-23384945
ईमेल: judicial-dla@nic.in